न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 02/2025
दायर दिनांक : 19.03.2025
आदेश दिनांक : 16.01.2026

अनवान

1. तेजसिंह पिता स्व. श्री प्रेमसिंह
2. केशरसिंह पिता स्व. श्री प्रेमसिंह
3. गिरधारीसिंह पिता स्व. श्री प्रेमसिंह
4. चतरसिंह पिता स्व. श्री प्रेमसिंह
5. उत्तमसिंह पिता स्व. श्री प्रेमसिंह के बजाय गोवर्धन सिंह, विजेन्द्र सिंह, पर्वत सिंह एवं स्वप्ना सिंह
6. दिलीपसिंह पिता स्व. श्री प्रेमसिंह
7. मनोहरसिंह पिता स्व. श्री प्रेमसिंह

सभी निवासीयान बग्गड, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

— प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, नेशनल हाईवे अॅथारिटी ऑफ इंडिया, गोमती ब्यावर खंड, ब्यावर
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी एवं 3 एच, नेशनल हाईवे एक्ट (संशोधित) 1997 एवं मध्यस्थता अधिनियम

उपस्थित :—

श्री गोपाल सिंह चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1 व 2

:: निर्णय ::

प्रार्थी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 की धारा 3जी एवं 3 एच के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से पूर्व में दिनांक 26.08.2015 को ग्राम बग्गड की आराजी संख्या 2920/मीन, 2884/1 मीन, 2920/मीन/1, 2916, 2915 की अवाप्ति के सम्बन्ध में आप श्रीमान् के समक्ष उपरोक्त

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

धारा के तहत याचिका प्रस्तुत की गई थी जिस पर आप श्रीमान् द्वारा दिनांक 19.06.2018 को विपक्षीगण को RFCTLARR ACT, 2013 के प्रावधानानुसार मुआवजा राशि प्रार्थीगण को अतिशीघ्र भुगतान किये जाने का आदेश फरमाया था। उक्त आदेश के पश्चात् विपक्षी संख्या 2 द्वारा दिनांक 19.02.2019 को संशोधित अवार्ड जारी करते हुए विपक्षी संख्या 1 को संशोधित अवार्ड की अंतर राशि 23,45.496/– रूपये भिजवाये जाने का पत्र जारी किया था। अभी कुछ समय पूर्व विपक्षी संख्या 2 के कार्यालय से प्रार्थीगण को सूचित किया गया कि उनकी सम्पूर्ण अवार्ड राशि उनके कार्यालय को प्राप्त हो चुकी है तथा प्रार्थीगण वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त अवार्ड राशि प्राप्त कर सकते है। प्रार्थीगण द्वारा अवार्ड राशि बाबत् जानकारी चाही गई तो विपक्षी संख्या 2 के कार्यालय से प्रार्थीगण को आश्वस्त किया गया कि आप श्रीमान् के आदेशानुसार RFCTLARR ACT, 2013 के प्रावधानों के तहत सम्पूर्ण अवार्ड राशि मय ब्याज के आपको भुगतान कर दी जायेगी जिस वजह से प्रार्थीगण द्वारा वांछित दस्तावेज विपक्षी संख्या 2 के कार्यालय में विहित प्रक्रिया अपनाते हुए प्रस्तुत कर दिये गये परन्तु प्रार्थीगण को मात्र 21,36,623/– रूपये ही मुआवजा राशि के रूप में प्राप्त हुए जिस पर प्रार्थीगण द्वारा तुरन्त ही विपक्षी सख्या 2 को पत्र लिखकर शेष राशि अदा करने हेतु निवेदन किया गया तथा शेष राशि की अदायगी नहीं होने की सूरत में प्रार्थीगण द्वारा उन्हें प्राप्त राशि को लौटाने का कथन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा जब विपक्षी संख्या 2 के कार्यालय से जानकारी प्राप्त की गई तब प्रार्थीगण को पता चला कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा दिनांक 21.01.2016 को जारी अवार्ड की राशि 7,87,836/– रूपये को ही आधार मानते हुए उस पर दिनांक 21.01.2016 तक का 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोडकर ही सॉलेशियम राशि की गणना कर दी गई है तथा RFCTLARR ACT, 2013 के रूल 2015 की प्रथम अनुसूची के अनुसार 1.25 कारक से ही मुआवजा राशि का गुणन कर दिया गया है जबकि भारत सरकार के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सर्कुलर नम्बर 11011/30/2015–एलए तथा भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.425(अ) दिनांक 09.02.2016 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जिस गुणक द्वारा बाजार मूल्य को गुणा किया जाना है वह गुणक 2 होगा। विपक्षी संख्या 2 द्वारा दिनांक 21.02.2013 से 21.01.2016 तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की मुआवजा राशि पर गणना की है जबकि प्रार्थीगण को उक्त मुआवजा राशि सितम्बर, 2024 में अदा की गई है। दिनांक 21.01.2016 से सितम्बर, 2024 तक की ब्याज राशि क्यों अदा नहीं की गई है इस बारे में विपक्षी संख्या 2 द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि मुआवजा राशि की अदायगी की दिनांक तक की ब्याज राशि हितधारक प्राप्त करने के अधिकारी है। RFCTLARR ACT, 2013 की धारा 72 के परन्तुक के अनुसार यदि 1 वर्ष की अवधि के पश्चात् भी मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त मुआवजा राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज राशि देय होगी। अतः निवेदन है कि विपक्षीगण को यह निर्देशित किया जावें कि वह प्रार्थीगण को मुआवजा राशि की अदायगी की दिनांक तक की 15 प्रतिशत ब्याज राशि अदा करें। मुआवजा राशि RFCTLARR ACT, 2013 के अनुसार कारक 2 से राशि को गुणित करें। उपरोक्त वर्णित समस्त राशि का तुरन्त भुगतान करें तथा उपरोक्त वर्णित समस्त राशि के भुगतान तक प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही न करें।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति देकर जवाब प्रस्तुत किया। तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से मूल अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 व 02 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08 (ब्यावर गोमती सेक्शन) के ग्राम बग्गड के आराजी संख्या 2884/1 मीन, आराजी संख्या 2915, आराजी सख्या 2916, आराजी संख्या 2920/मीन, आराजी संख्या 2920/मीन 1 की भूमि अवाप्ति की धारा 3 डी दिनांक 31.05.2013 को प्रकाशित अधिसूचना, अनुसार अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि 7.87.836/– रुपये का अवार्ड श्रीमान् सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा जारी किया गया। उक्त अवार्ड अनुसार मुआवजे के भुगतान हेतु मोर्थ कार्यालय जयपुर से दिनांक 25.01.2014 को मुआवजा राशि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द कार्यालय में जमा की गई। मुआवजा राशि के भुगतान हेतु प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 2884/1 4/1 मीन, 2915, 2916 के दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द) कार्यालय में उपलब्ध करवाने पर मुआवजा राशि 3,33,017/–रूपये के चैक सम्बन्धित प्रार्थीयो के नाम दिनांक 21.01.2016 को जारी किये गये जिसे प्रार्थीयों द्वारा स्वीकार नहीं करने के कारण तहसील कार्यालय भीम द्वारा लौटा दिये गये। खसरा नम्बर 2920/मीन व 2920/मीन 1 की मुआवजा राशि 4,54,819/– रूपये के भुगतान हेतु प्रार्थीयों द्वारा दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द कार्यालय में उपलब्ध नहीं करवाने के कारण मुआवजा राशि के चैक जारी नहीं किये जा सके। उक्त अवार्ड के विरूद्ध श्री न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, मध्यस्थ राष्ट्रीय राजमार्ग केन्द्रीय सरकार राजसमन्द के समक्ष क्लेम आवेदन प्रस्तुत करने पर श्री न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, मध्यस्थ राष्ट्रीय राजमार्ग केन्द्रीय सरकार राजसमन्द द्वारा दिनांक 19.06.2018 को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act–2013) के प्रावधान के अनुसार मुआवजा राशि भुगतान करने के आदेश प्रदान किये गये जिसकी पालना में श्रीमान् सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा दिनांक 07.09.2018 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया। जिसके अन्तर्गत खसरा संख्या 2884/1 मीन, 2915, 2916 के लिये 12 प्रतिशत की दर से दिनांक 21.02.2013 से 21.01.2016 (चैक जारी करने कि दिनांक तक) समयावधि का ब्याज व खसरा नम्बर 2920/मीन व 2920 / मीन 1 के लिये 12 प्रतिशत की दर से 25.01.2014 (मोर्थ कार्यालय से राशि प्राप्ति दिनांक तक) समयावधि का ब्याज नियमानुसार जोड़कर राशि संशोधित अवार्ड राशि 21,36,623/– रूपये का जारी किया गया। अन्तर राशि 1348787/ सहित कुल राशि 2136623/– का दिनांक 18.09.2024 को भुगतान राशि आदेश जारी कर भुगतान किया जा चुंका है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण और कोई मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा मन गढ़त तथ्य वर्णित किये गये है। मोर्थ कार्यालय जयपुर द्वारा दिनांक 03.07.2024 को श्रीमान् सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अत्तिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द के खाते में राशि जमा होने पर प्रार्थीगण द्वारा दस्तावेज उपलब्ध करवाने पर दिनांक

18.09.2024 को भुगतान किया जा चुका है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने के बावजुद भी मौके पर अवाप्ताधिन भूमि में विपक्षी संख्या 1 के कार्य करने में लगातार बाधा उत्पन्न करने के कारण जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से पुलिस जाब्ता लगाकर कार्य करवाया गया जिससे अनावश्यक सरकारी मशीनरी का समय खराब हुआ व मौके पर राज कार्य लम्बे समय से बाधित रहा। जिसके लिए संवेदक क्लेम का हकदार होगा एवं विभाग को राजस्व हानि होगी। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act–2013 के रूल 2015 के अनुसार नियमानुसार सोलेशियम राशि व ब्याज राशि जोडकर श्रीमान् सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द संशोधित अवार्ड पारित किया जा कर सम्बन्धित प्रार्थीयों को भुगतान कर दिया गया है। मोर्थ कार्यालय जयपुर के सम.सं. पत्रांक RW/JAI/RJ/B&G/4-LANE /TECHNICAL WORK/ 563 दिनांक 31.01.2018, परियोजना निदेशक, जोधपुर के पत्रांक 6290 दिनांक 16.02.2022 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (3) राज/6/ 2011/पार्ट 26/14.06.2016 के अन्तर्गत निर्धारित कारक (FACTOR) के मध्ये नजर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act–2013) के रूल 2015 की प्रथम अनुसुची की क्र. सं. 2, 3, 5 के कॉलम सं. 3 के प्रावधान अनुसार निर्धारित कारक से बाजार मुल्य गुणित कर नियमानुसार सोलेशियम राशि व ब्याज राशि जोडकर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अयाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द संशोधित अवार्ड अनुसार सम्बन्धित प्रार्थियो को भुगतान किया जा चुका है। अतः निवेदन है कि आपत्ति प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण द्वारा असत्य व आधारहीन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा अवाप्त की गई भूमि का और अधिक मुल्यांकन कपोल कल्पित आधारों पर कर अधिक राशि की मांग करना अवैधानिक होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से पूर्व में दिनांक 26.08.2015 को ग्राम बग्गड की आराजी संख्या 2920/मीन, 2884/1 मीन, 2920/मीन/1, 2916, 2915 की अवाप्ति के सम्बन्ध में आप श्रीमान् के समक्ष उपरोक्त धारा के तहत याचिका प्रस्तुत की गई थी जिस पर आप श्रीमान् द्वारा दिनांक 19.06.2018 को विपक्षीगण को RFCTLARR ACT, 2013 के प्रावधानानुसार मुआवजा राशि प्रार्थीगण को अतिशीघ्र भुगतान किये जाने का आदेश फरमाया था। उक्त आदेश के पश्चात् विपक्षी संख्या 2 द्वारा दिनांक 19.02.2019 को संशोधित अवार्ड जारी करते हुए विपक्षी संख्या 1 को संशोधित अवार्ड की अंतर राशि 23,45.496/– रूपये भिजवाये जाने का पत्र जारी किया था। अभी कुछ समय पूर्व विपक्षी संख्या 2 के कार्यालय से प्रार्थीगण को सूचित किया गया कि उनकी सम्पूर्ण अवार्ड राशि उनके कार्यालय को प्राप्त हो चुकी है तथा प्रार्थीगण वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त अवार्ड राशि प्राप्त कर सकते है। प्रार्थीगण द्वारा अवार्ड राशि बाबत् जानकारी चाही गई तो विपक्षी संख्या 2 के कार्यालय से प्रार्थीगण को आश्वस्त किया गया कि आप श्रीमान् के आदेशानुसार RFCTLARR ACT, 2013 के प्रावधानों के तहत सम्पूर्ण अवार्ड राशि मय ब्याज के आपको भुगतान कर दी जायेगी जिस वजह से प्रार्थीगण द्वारा वांछित दस्तावेज विपक्षी संख्या 2 के कार्यालय में

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

विहित प्रक्रिया अपनाते हुए प्रस्तुत कर दिये गये परन्तु प्रार्थीगण को मात्र 21,36,623/– रूपये ही मुआवजा राशि के रूप में प्राप्त हुए जिस पर प्रार्थीगण द्वारा तुरन्त ही विपक्षी सख्या 2 को पत्र लिखकर शेष राशि अदा करने हेतु निवेदन किया गया तथा शेष राशि की अदायगी नहीं होने की सूरत में प्रार्थीगण द्वारा उन्हें प्राप्त राशि को लौटाने का कथन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा जब विपक्षी संख्या 2 के कार्यालय से जानकारी प्राप्त की गई तब प्रार्थीगण को पता चला कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा दिनांक 21.01.2016 को जारी अवार्ड की राशि 7,87,836/– रूपये को ही आधार मानते हुए उस पर दिनांक 21.01.2016 तक का 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोडकर ही सॉलेशियम राशि की गणना कर दी गई है तथा RFCTLARR ACT, 2013 के रूल 2015 की प्रथम अनुसूची के अनुसार 1.25 कारक से ही मुआवजा राशि का गुणन कर दिया गया है जबकि भारत सरकार के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सर्कुलर नम्बर 11011/30/2015–एलए तथा भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.425(अ) दिनांक 09.02.2016 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जिस गुणक द्वारा बाजार मूल्य को गुणा किया जाना है वह गुणक 2 होगा। विपक्षी संख्या 2 द्वारा दिनांक 21.02.2013 से 21.01.2016 तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की मुआवजा राशि पर गणना की है जबकि प्रार्थीगण को उक्त मुआवजा राशि सितम्बर, 2024 में अदा की गई है। दिनांक 21.01.2016 से सितम्बर, 2024 तक की ब्याज राशि क्यों अदा नहीं की गई है इस बारे में विपक्षी संख्या 2 द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि मुआवजा राशि की अदायगी की दिनांक तक की ब्याज राशि हितधारक प्राप्त करने के अधिकारी है। RFCTLARR ACT, 2013 की धारा 72 के परन्तुक के अनुसार यदि 1 वर्ष की अवधि के पश्चात् भी मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त मुआवजा राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज राशि देय होगी। अतः निवेदन है कि विपक्षीगण को यह निर्देशित किया जावें कि वह प्रार्थीगण को मुआवजा राशि की अदायगी की दिनांक तक की 15 प्रतिशत ब्याज राशि अदा करें। मुआवजा राशि RFCTLARR ACT, 2013 के अनुसार कारक 2 से राशि को गुणित करें। उपरोक्त वर्णित समस्त राशि का तुरन्त भुगतान करें तथा उपरोक्त वर्णित समस्त राशि के भुगतान तक प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही न करें।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 व 02 ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08 (ब्यावर गोमती सेक्शन) के ग्राम बग्गड के आराजी संख्या 2884/1 मीन, आराजी संख्या 2915, आराजी सख्या 2916, आराजी संख्या 2920/मीन, आराजी संख्या 2920/मीन 1 की भूमि अवाप्ति की धारा 3 डी दिनांक 31.05.2013 को प्रकाशित अधिसूचना, अनुसार अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि 7.87.836/– रुपये का अवार्ड श्रीमान् सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा जारी किया गया। उक्त अवार्ड अनुसार मुआवजे के भुगतान हेतु मोर्थ कार्यालय जयपुर से दिनांक 25.01.2014 को मुआवजा राशि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द कार्यालय में जमा की गई। मुआवजा राशि के भुगतान हेतु प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 2884/1 4/1 मीन, 2915, 2916 के दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द) कार्यालय में उपलब्ध करवाने पर मुआवजा राशि 3,33,017/– रूपये के चैक सम्बन्धित प्रार्थीयो के नाम दिनांक 21.01.2016 को जारी किये गये जिसे प्रार्थीयों द्वारा

स्वीकार नहीं करने के कारण तहसील कार्यालय भीम द्वारा लौटा दिये गये। खसरा नम्बर 2920/मीन व 2920/मीन1 की मुआवजा राशि 4,54,819/– रूपये के भुगतान हेतु प्रार्थीयों द्वारा दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द कार्यालय में उपलब्ध नहीं करवाने के कारण मुआवजा राशि के चैक जारी नहीं किये जा सके। उक्त अवार्ड के विरूद्ध श्री न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, मध्यस्थ राष्ट्रीय राजमार्ग केन्द्रीय सरकार राजसमन्द के समक्ष क्लेम आवेदन प्रस्तुत करने पर श्री न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, मध्यस्थ राष्ट्रीय राजमार्ग केन्द्रीय सरकार राजसमन्द द्वारा दिनांक 19.06.2018 को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act–2013) के प्रावधान के अनुसार मुआवजा राशि भुगतान करने के आदेश प्रदान किये गये जिसकी पालना में श्रीमान् सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा दिनांक 07.09.2018 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया। जिसके अन्तर्गत खसरा संख्या 2884/1 मीन, 2915, 2916 के लिये 12 प्रतिशत की दर से दिनांक 21.02.2013 से 21.01.2016 (चैक जारी करने कि दिनांक तक) समयावधि का ब्याज व खसरा नम्बर 2920/मीन व 2920/मीन 1 के लिये 12 प्रतिशत की दर से 25.01.2014 (मोर्थ कार्यालय से राशि प्राप्ति दिनांक तक) समयावधि का ब्याज नियमानुसार जोड़कर राशि संशोधित अवार्ड राशि 21,36,623/– रूपये का जारी किया गया। अन्तर राशि 1348787/ सहित कुल राशि 2136623/– का दिनांक 18.09.2024 को भुगतान राशि आदेश जारी कर भुगतान किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act–2013 के रूल 2015 के अनुसार नियमानुसार सोलेशियम राशि व ब्याज राशि जोडकर श्रीमान् सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द संशोधित अवार्ड पारित किया जा कर सम्बन्धित प्रार्थीयों को भुगतान कर दिया गया है। मोर्थ कार्यालय जयपुर के सम.सं. पत्रांक RW/JAI/RJ/B&G/4–LANE/TECHNICAL WORK/563 दिनांक 31.01.2018, परियोजना निदेशक, जोधपुर के पत्रांक 6290 दिनांक 16.02.2022 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (3) राज/6/2011/पार्ट 26/14.06. 2016 के अन्तर्गत निर्धारित कारक (FACTOR) के मध्ये नजर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act–2013) के रूल 2015 की प्रथम अनुसुची की क्र. सं. 2, 3, 5 के कॉलम सं. 3 के प्रावधान अनुसार निर्धारित कारक से बाजार मुल्य गुणित कर नियमानुसार सोलेशियम राशि व ब्याज राशि जोडकर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अयाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द संशोधित अवार्ड अनुसार सम्बन्धित प्रार्थियो को भुगतान किया जा चुका है। अतः निवेदन है कि आपत्ति प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण द्वारा असत्य व आधारहीन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा अवाप्त की गई भूमि का और अधिक मुल्यांकन कपोल कल्पित आधारों पर कर अधिक राशि की मांग करना अवैधानिक होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई व बहस पर गहन मनन किया गया। इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वो 2 आधारो पर प्रस्तुत किया गया है। आधार संख्या 1 कि सोलेशियम की गणना के लिए जो कारक 2 के स्थान पर 1.25 ही लगाया गया है जो 2 लगाया जाना चाहिए। आधार संख्या 2 में

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

प्रार्थी का यह आधार है कि प्रार्थी को ब्याज का भुगतान, भुगतान दिनांक तक नहीं किया गया।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस प्रकरण में प्रार्थीगण को मुआवजे का भुगतान वर्ष 2014 में किये जाने हेतु राशि अधीनस्थ न्यायालय के कार्यालय में जमा करायी गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चैक प्रार्थियों के नाम 21.06.2016 को जारी किये गये। जिसे प्रार्थियो द्वारा स्वीकार नहीं किया गया तथा इसी संबंध में कुछ चैक के लिए दस्तावेज प्रार्थीगण ने कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये जिसके कारण उनको भुगतान नहीं किया जा सका। इसी मध्य प्रार्थीगण द्वारा मुआवजे के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में वास्ते मध्यस्थ का दायर किया गया। जिसका निर्णय भी दिनांक 19.06.2018 को कर दिया गया। जिसके प्रकरण संख्या 11/2015 होकर निर्णय दिनांक 19.06.2018 के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मूल अवार्ड दिनांक 21.01.2016 किसी भी रूप में त्रुटी पूर्ण नही पाये जाने से याचिका खारिज की गई तथा RFCTLARR ACT, 2013 के अनुसार नियमानुसार क्लेम दस्तावेज पेश करने पर भुगतान के आदेश पारित किये। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः संशोधित अवार्ड दिनांक 07.09.2018 को जारी कर दिया गया है उस अवार्ड दिनांक 07.09.2018 के अनुसार राशि का भुगतान भी प्रार्थीगण को कर दिया गया है। इस भुगतान पर प्रार्थीगण की 2 आपत्तियां है इसमें सोलेशियम की गणना के लिए जो कारक 2 के स्थान पर 1.25 ही लगाया गया तथा प्रार्थीगण को ब्याज का भुगतान भुगतान दिनांक तक नहीं किया गया। इन दोनों बिन्दुओं का अध्ययन किया गया तो ऐसी स्थिति में हमने अधिसूचना में यह पाया कि जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। उसका सोलेशियम की गणना हेतु कारक 1.25 ही होता है। जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो ब्याज की गणना की गयी है वो पूर्व अवार्ड में अंकित दिनांक अनुसार ही कि गयी है।

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने अवार्ड जारी करने में कोई त्रुटि नहीं की है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं ।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 16.01.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)